सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 485 राँची, शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

9 सितम्बर, 2025

संख्या-5/आरोप-1-128/2016-32986 (HRMS)--श्री गोपी उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-130/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर, राँची के विरूद्ध उपायुक्त, राँची के पत्रांक-157, दिनांक 27.07.2016 एवं पत्रांक-243, दिनांक 09.10.2015 द्वारा दो आरोप-पत्र गठित कर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2318, दिनांक 26.09.2016 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया ।

2. श्री उराँव के विरूद्ध आरोप पत्र में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप सं0-1- श्री जतरू उराँव, पिता-बन्दे उराँव के भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण, योजना कोड सं0-1314040739 की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2013-14 में प्रदान की गई है। इस योजना की प्राक्कलित राशि 3.182 लाख रूपये है, जिसके विरूद्ध एम०आई०एस० प्रतिवेदन के अनुसार मजदूरी पर 89,744.00 रूपये एवं सामग्री पर 1,750 रूपये कुल 91,494.00 रूपये का व्यय किया गया है, जबकि योजना स्थल पर मात्र 5 फीट खुदाई ही किया गया है। इस योजना से संबंधित मस्टर रोल/जॉब डिमान्ड आदि कागजातों का विधिवत तरीके से छानबीन/जाँच पड़ताल किये बिना एवं बगैर योजना स्थल के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के FTO के माध्यम से आपके द्वारा अपने Digital Signature से कार्य से अधिक राशि का भुगतान कर सरकारी राशि का गबन एवं दुरूपयोग किया गया है, जिसके लिए आप स्पष्टतः दोषी हैं ।

आरोप सं0-2- श्रीमती जसमनी मिंज के भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण, योजना कोड संख्या 1314040755 की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2013-14 में प्रदान की गई है। इस योजना की प्राक्कलित राशि 3.182 लाख रूपये है, जिसके विरूद्ध एम०आई०एस० प्रतिवेदन के अनूसार मजदूरी पर 1,12,048.00 रूपये एवं सामग्री पर 54,129 रूपये कुल 1,66,177.00 रू० का व्यय किया गया है, जबकि मात्र 15 फीट ही कूप खुदाई का कार्य किया गया है। इस योजना से सम्बन्धित मस्टर रोल/जॉब डिमान्ड आदि कागजातों का विधिवत तरीके से छानबीन/जाँच पड़ताल किये बिना एवं बगैर योजना स्थल के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के FTO के माध्यम से आपके द्वारा Digital Signature से कार्य से अधिक राशि का भुगतान कर सरकारी राशि का गबन एवं दुरूपयोग किया गया है, जिसके लिए आप स्पष्टतः दोषी हैं ।

आरोप सं0-3- माण्डर प्रखण्ड अन्तर्गत माण्डर पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल स्वीकृत योजनाओं की संख्या-11 है, जिनमें आनलाईन योजनाओं की संख्या-8 है, परन्तु कुल-4 योजनाओं में क्रमशः हरीश चन्द्र उराँव के जमीन पर डोभा निर्माण योजना (योजना कोड संख्या-1617011367) संदीप खलखो के जमीन पर डोभा निमार्ण योजना (योजना कोड संख्या-1617011162) की भूमि पर जे०सी०बी० मशीन से कार्य किये जाने के साक्ष्य पाये गये हैं। निरीक्षण के क्रम में लाभुकों सुका उराँव एवं हरीशचन्द्र उराँव के द्वारा बतलाया गया कि आरम्भ में मजदूरों से कार्य कराया गया था, परन्तु बाद में मजदूर नहीं मिलने की स्थिति में उनके द्वारा जे०सी०बी० मशीन से खुदाई करायी गयी है। आपके द्वारा योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में अभिरूचि नहीं ली गई एवं लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण आपके प्रखण्ड में मनरेगा कार्य जे०सी०बी० मशीन का उपयोग किया गया है, जो कि मनरेगा अधिनियम का घोर उल्लंघन है, जिसके लिए आप स्पष्टतः दोषी हैं ।

आरोप सं0-4- माण्डर प्रखण्ड अन्तर्गत नगड़ा पंचायत में मनरेगा अन्तर्गत डोभा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण स्थल पर कनीय अभियंता, अनगड़ा के द्वारा मापी किया गया। नगड़ा पंचायत में 8 डोभा में से 7 डोभा क्रमशः श्री लेला उराँव, श्री सुनील उराँव, श्री विनोद उराँव, श्री अनिल उराँव, श्री लक्ष्मण उराँव, मो0 एजाज खान, श्रीमती चम्पू उराईन का निरीक्षण किया गया। जिसके सातों डोभा में स्वीकृत एवं वास्तविक आकार में अन्तर पाया गया है। आपके द्वारा योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में अभिरूचि नहीं ली गई एवं लापरवाही बरती गई, जिसके कारण आपके प्रखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत डोभा में स्वीकृत एवं वास्तविक आकार में भिन्नता पाई गई है, जिसके लिए आप स्पष्टतः दोषी हैं ।

आरोप सं0-5- मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके प्रखण्ड में मनरेगा श्रमिकों का कुल 19.16 लाख रूपया Pending Wage Liability के रूप में एम०आई०एस० में प्रदर्शित हो रहा है, जो कि राँची जिला में सर्वाधिक है। आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा श्रमिकों का मजदूरी भुगतान लम्बित रखा गया है। जिससे की मनरेगा श्रमिक आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसके लिए आप स्पष्टतः दोषी हैं ।

आरोप सं0-6- आपके प्रखण्ड को तीन माह पूर्व Mobile Monitoring System अन्तर्गत 9 (नौ) टैबलेट दिया गया था। परन्तु 25.07.2016 के एम०आई०एस० प्रतिवेदन के अनुसार मात्र एक टैबलेट का रजिस्ट्रेशन किया गया है एवं कोई भी टैबलेट से मनरेगा कार्य की इन्ट्री प्रारम्भ नहीं किया गया है। विभाग से उपलब्ध कराये गये 9 (नौ) टैबलेट जो कि आपके प्रखण्ड को दिया गया था। जिसमें से एक भी टैबलेट कार्यरत नहीं है। जिसके लिए आप स्पष्टतः दोषी हैं ।

3. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8864, दिनांक 17.10.2024 एवं पत्रांक-9304, दिनांक 28.10.2016 द्वारा श्री उराँव से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री उराँव के पत्र, दिनांक 05.12.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री उराँव के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10977, दिनांक 23.12.2016 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गई, परन्तु वांछित मंतव्य अप्राप्त रहा ।

4. श्री उराँव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-8430(HRMS), दिनांक 12.01.2024 द्वारा श्री उराँव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

5. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-310, दिनांक 05.02.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी, श्री गोपी उराँव के विरूद्ध गठित आरोप संख्या-01 से 06 को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया ।

6. श्री उराँव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि-

"संचिका में रक्षित अभिलेखों से स्पष्ट है कि मनरेगा अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में अधिक राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही मनरेगा कार्यों में JCB मशीन का भी उपयोग किया गया है। इसके अलावा मनरेगा अंतर्गत डोभा निर्माण में स्वीकृत एवं वास्तविक आकार में भिन्नता पाई गयी है। मनरेगा योजना में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तर पर मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का निर्वहन करते हैं। श्री उराँव के द्वारा पंचायत सचिव एवं मुखिया को विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार करार देना स्वीकार योग्य नहीं है। श्री उराँव द्वारा मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में लापरवाही बरती गई है ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी का प्रतिवेदन की प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के लिए प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत स्तरीय प्रत्येक कार्यान्वित योजनाओं का स्वयं भौतिक रूप से पर्यवेक्षण करना संभव नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योकि मनरेगा अधिनियम अंतर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का यही मुख्य दायित्व है। अतः विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को अस्वीकार करते हुए श्री गोपी उराँव के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं ।"

7. समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री उराँव के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया ।

8. विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक-2364, दिनांक 25.04.2025 द्वारा उक्त प्रस्तावित दण्ड पर श्री उराँव से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी ।

9. श्री उराँव के पत्रांक-2586, दिनांक 21.06.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जवाब निम्नवत् है-

"झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 में उपस्थापन पदाधिकारी, प्रतिवेदक पदाधिकारी, आरोपी पदाधिकारी एवं संचालन पदाधिकारी का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त प्रावधान के आलोक में इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी के द्वारा पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित समर्पित किया जा चुका है। इनके द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर के रूप में अपने सरकारी दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ किया गया है। इनके स्तर से अनियमितता संज्ञान में आने के साथ ही यथोचित विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए राशि की रिकवरी एवं कार्य पर रोक तत्काल सुनिश्चित कराया गया। इनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के साथ संलग्न विभागीय दिशा-निर्देश एवं अन्य साक्ष्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को स्वीकार योग्य नहीं माना गया ।

इस संदर्भ में कहना है कि इनके विरूद्ध बिना किसी साक्ष्य व तथ्य के दंडित करने से संबंधित कृत्य से इनके आत्मबल, कार्य क्षमता, कर्तव्यनिष्ठा एवं मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के आलोक में किसी भी सक्षम प्राधिकार के स्तर पर किसी साक्ष्य, नियम/अधिनियम व सरकारी परिपत्र के अवहेलना करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।"

10. श्री उराँव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री गोपी उराँव के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में उनके द्वारा विभाग के द्वारा अंकित असहमति के बिन्दुओं के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। श्री उराँव के द्वारा योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करने के संबंध में भी कोई ठोस तथ्य अंकित नहीं किया गया है। पंचायत स्तरीय इन योजनाओं का मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में पर्यवेक्षण एवं भौतिक निरीक्षण का दायित्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का होता है। श्री उराँव के द्वारा इन योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं भौतिक निरीक्षण से संबंधित दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया। श्री उराँव के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव स्वीकार योग्य नहीं है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री गोपी उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-130/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर, राँची द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री गोपी उराँव, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	GOPI ORAON 20080400131	श्री गोपी उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-130/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर, राँची द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 485 - 50